

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल १, २००१/चैत्र 19, 1931

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2009/CHAITRA 19, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

का.आ. 946(अ).—राष्ट्रपित, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 के साथ पिटत सिविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 332(अ) का अधिक्रमण करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के परचात्, एतद्द्वारा, यह निदेश देते हैं कि शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अन्तर्गत आने वाले सभी सिविल पद निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :—

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
. (क)	मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान (90,000 नियत), शीर्षस्थ वेतनमान (80,000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (75,500-80,000 रु.) में कोई केन्द्रीय सिविल पद; और	
(평)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 37,400—67,000/- रुपए के वेततमान में वेतन बैंड-4 में 12000/-रुपए, 10000/-रुपए, 89,00/-रुपए और 87,00/-रुपए और 15600-39100/-रुपए में वेतन बैंड 3 में 76,00/-रुपए, 66,00/-रुपए और 54,00/-रुपए	समूह क
2.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 9300-34800/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 5400/-रुपए, 4800/-रुपए, 4600/-रुपए और 42,00/-रुपए	समूह ख
3.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 5200-20,200/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2800/-रुपए, 2400/-रुपए, 2000/-रुपए, 1900/-रुपए और 1800/-रुपए	समूह ग

2	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINART	[[AKI II Dicc. 5(II)]		
(1)	(2)	(3)		
4.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :—			
	4440-7440/-रुपए के वेतनमान में 1 एस. वेतनमान में 1300/-रुपए, 1400/-रुपए,	समूह घ (पदों के अपग्रेड कर		
	1600/-रुपए और 1650/-रुपए	दिए जाने तक)		

स्पष्टीकरण : इस आदेश के आशय से किसी पद के संबंध में वेतन बैंड का अभिप्राय, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 के खण्ड-1 के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट चल रहे वेतन बैंडों (रिनंग पे बैंड्स) से है ।

[फा. सं. 11012/7/2008-स्था (क)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) ORDER

New Delhi, the 9th April, 2009

S.O. 946(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause 5 of article 148 of the Constitution read with rule 6 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Personnel and Training number S.O. 332(E) dated the 20th day of April, 1998, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, all civil posts under the Union, shall be classified as follows:-

Sl. No.	Description of Posts	Classification of posts
(1)	(2)	(3)
1. (a)	A Central Civil post in Cabinet Secretary's scale (Rs. 90000-fixed), Apex Scale (Rs. 80000-fixed) and Higher Administrative Grade plus scale (Rs. 75500-80000); and	
(b)	A Central Civil post carrying the following grade pays:-	Group A
	Rs. 12000, Rs. 10000, Rs. 8900 and Rs. 8700 in the scale of pay of Rs. 37400-67000 in Pay Band-4, and Rs, 7600, Rs. 6600 and Rs. 5400 in the scale of pay of Rs. 15600-39100 in Pay Band-3	
2.	A Central Civil post carrying the following grade pays:—	
	Rs. 5400, Rs. 4800, Rs. 4600 and Rs. 4200 in the scale of pay of Rs. 9300-34800 in Pay Band-2.	Group B
3.	A Central Civil post carrying the following grade pays:—	Group C
	Rs. 2800, Rs. 2400, Rs. 2000, Rs. 1900 and Rs. 1800 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 in Pay Band-1.	
4.	A Central Civil post carrying the following grade pays:—	Group D
	Rs. 1300, Rs. 1400, Rs. 1600, Rs. 1650 in the scale of pay of Rs. 4440-7440 in 1S Scale	(till the posts are upgraded)

Explanation: For the purpose of this order Pay Band, in relation to a post, means the running Pay Bands specified in Part-A, Section 1 of column 5 of the First Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

[F. No. 11012/7/2008-Estt. (A)]

C.B. PALIWAL, Jt. Secy.